प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

कमांकः 391 स0क0(1)–2021
चण्डीगढ़, दिनांकः 20–08–2021

विषयः– **डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र कमांक 247–स.क.(1)–2017 दिनांक 28.02.2017 तथा 1034–स.क.(1)–2018 दिनांक 10.07.2018 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 01-04-2021 से डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत निम्न अनुसार संशोधन किया जाता हैः–

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के ऐसे लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है तो उसे 50,000/– रूपये की अनुदान राशि एक बार दी जाएगी तथा वह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर होंगे ।	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है, को अनुदान की राशि 50000/– रूपये से बढ़ाकर 80,000/– रूपये एक मुस्त में दी जाएगी तथा वह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर अंकित होंगे ।

3. स्कीम की अन्य टर्मज़ एण्ड कन्डीशनज़ यथावत् रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशाः क0 12/21/2021–4 एफ0जी0–II/20899 दिनांक 19.08.2021 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

सचिव,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ0क0 391 स0क0(1)–2021 चण्डीगढ़, दिनांकः 20.08.2021

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. सलाहकार (मुख्यमंत्री) हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
4. नियंत्रक, लेखन एवं सामग्री विभाग, हरियाणा, पंचकूला को भेजते हुए उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने की कृपा करें।
5. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।

......जारी......

7. उपनिदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
8. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
9. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

सचिव, 20/8/21
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा क्र0 12/21/2021–4 एफ0जी0–ІІ/20899 दिनांक 19.08.2021 के संदर्भ में प्रेषित है ।

सचिव,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा:क्र0: 391 स0क0(1)–2021 चण्डीगढ़, दिनांक: 20.08.2021